543

संख्या–43(1)/XXVIII(1)/2016-40(नर्सिंग) /2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांकः 24 फरवरी , 2016।**

विषयः– जी0एन0एम0 स्कूल रूड़की जनपद हरिद्वार के प्रथम चरण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 26 प/चि0शि0/112/2013/296 दिनांक 19 जनवरी 2016 द्वारा उपलब्ध कराये गयी डी0पी0आर0 में प्रथम चरण कार्यो के निर्माण हेतु धनराशि रू0 21.94 लाख **(रू0 इक्कीस लाख चौरनवे हजार मात्र)** की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से अवश्य ले, डी0पी0आर0 एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

II. कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, अपने कार्य प्रदर्शिका, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा डी0एस0आर0 के नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि त्रुटिवश कोई वित्तीय डुप्लीकेसी होती है, तो उसका तत्काल निराकरण करेंगे।

III. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. कार्य हेतु समयसारिणी निर्धारित करते हुए कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था से नियमानुरूप समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) अवश्य कर लिया जाय। कार्य एम0ओ0यू0 के अनुसार किया जायेगा। एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुनरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य का समयवद्व से पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। तत्संबधी द्वितीय चरण के निर्माणात्मक कार्यो हेतु विस्तृत आंगणन के गठन एंव अन्य संबंधित कार्यो के संबध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयवद्व कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

V. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

VI. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि आगणन में स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

VII. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उच्चधिकारियों एंव भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली भॉति निरीक्षण करते हुए विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

VIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

IX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

X. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एंव अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

XI. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219/2006 दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

XII. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में है) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किये जा सकेंगे।

XIII. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है। भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया है।

XIV. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

XV. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

XVI. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों के अनुरूप है एवं तद्नुसार ही सम्पादित किये जायेंगे।

XVII. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समयोजित की जाय।

XVIII. द्वितीय चरण के विस्तृत आगणन को प्रेषित करते समय यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय कि प्रथम चरण के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चुके है।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–11–नर्सिंग स्कूल की स्थापना–24 –वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि की कम्प्यूटर आई0डी0 संलग्नक के रूप में प्रस्तुत है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–360/(P)/XXVII(3)/2016 दिनांक 10/02/2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–U3(J)/XXVIII(1)/2016- 40 (नर्सिंग) /2013 तद्दिनांक

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- आयुक्त, गढवाल मण्डल।
3- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6- महाप्रबन्धक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम नेहरू कालोनी, देहरादून।
7- बजट प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8- वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9- नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।